National Research Journal of Human Resource Management
Volume No: 12, Issue No: 1, Year: 2025 (January-June)
PP: 171-182
ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता: भारतीय उच्च न्यायपालिका की तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ

प्रियसी

शोधार्थी,

विश्विद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

भारत में मानवाधिकार संरक्षण का संवैधानिक आधार मौलिक अधिकारों, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि के शासन और सामाजिक न्याय की अवधारणा में निहित है। भारतीय उच्च न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने मानवाधिकारों को केवल विधिक अधिकारों के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, निजता, जीवन-सुरक्षा और संस्थागत जवाबदेही के व्यापक प्रश्न के रूप में विकसित किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों, संवैधानिक प्रावधानों, प्रमुख न्यायिक निर्णयों, National Human Rights Commission के आँकड़ों, National Judicial Data Grid तथा अपराध-संबंधी उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्टों पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलनात्मक न्यायिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों की सैद्धांतिक और राष्ट्रीय संवैधानिक व्याख्या को विस्तार दिया, जबकि उच्च न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिकों को अधिक निकट, त्वरित और व्यावहारिक संवैधानिक उपचार प्रदान किया। द्वितीयक आँकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि मानवाधिकार शिकायतों का संस्थागत दबाव लगातार बना हुआ है और न्यायिक सक्रियता की प्रभावशीलता न्यायिक क्षमता, समयबद्ध निपटान और प्रशासनिक अनुपालन से गहराई से जुड़ी है।

मुख्य शब्द: मानवाधिकार, न्यायिक सक्रियता, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, लोकहित याचिका, संवैधानिक उपचार।

1. प्रस्तावना

मानवाधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की मूल आधारशिला हैं। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को अलग शीर्षक के अंतर्गत नहीं रखा गया, परंतु भाग 3 के मौलिक अधिकारों, भाग 4 के राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के माध्यम से उन्हें व्यापक संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 नागरिक स्वतंत्रताओं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है [1]।

भारतीय उच्च न्यायपालिका ने इन प्रावधानों की व्याख्या को समय के साथ विस्तृत किया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 21 को केवल भौतिक जीवन तक सीमित न रखकर गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, निजता, विधिक सहायता, बंदी अधिकार, मृत्युदंड प्रक्रिया, लैंगिक गरिमा और डिजिटल स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से जोड़ा गया है। इस अर्थ में न्यायिक सक्रियता ने भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र को स्थिर पाठ से आगे बढ़ाकर सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ा है [2]।

मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता का विकास भारतीय लोकतंत्र की उन स्थितियों से जुड़ा है जहाँ विधायिका या कार्यपालिका कई बार अधिकारों की रक्षा में अपर्याप्त सिद्ध हुई। लोकहित याचिका ने न्यायिक पहुँच को गरीब, कैदी, श्रमिक, महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति, विस्थापित

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

समुदाय और अन्य वंचित वर्गों तक विस्तृत किया। Hussainara Khatoon v. State of Bihar ने शीघ्र सुनवाई और विचाराधीन बंदियों के अधिकारों को प्रमुखता दी, जबकि D. K. Basu v. State of West Bengal ने गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश विकसित किए [3], [4]।

आज मानवाधिकार संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भूमिका समान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय संवैधानिक सिद्धांतों, मौलिक अधिकारों की अंतिम व्याख्या और नीति-स्तरीय हस्तक्षेप में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के कारण अधिक व्यापक रिट क्षेत्राधिकार रखते हैं और राज्य प्रशासन, पुलिस, जेल, स्थानीय निकाय, सेवा-न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़े मानवाधिकार मामलों में प्रत्यक्ष उपचार प्रदान करते हैं। National Judicial Data Grid के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं की संख्या 19,08,051 है, जो यह दिखाती है कि संवैधानिक उपचार की नागरिक-स्तरीय माँग अत्यंत व्यापक है [5]।

2. अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य

भारतीय मानवाधिकार विमर्श में प्रायः सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि उच्च न्यायालयों की भूमिका अपेक्षाकृत कम चर्चा में आती है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते। उनके लिए उच्च न्यायालय अधिक सुलभ संवैधानिक मंच हैं। इसलिए भारतीय उच्च न्यायपालिका की तुलनात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक है।

दूसरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन का चरित्र बदल रहा है। हिरासत, पुलिस हिंसा, जेल स्थितियाँ, स्त्री-सुरक्षा, जाति-आधारित हिंसा, बाल-अधिकार, डिजिटल निगरानी, निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य अब मानवाधिकार विमर्श के केंद्रीय क्षेत्र बन चुके हैं। National Human Rights Commission के 2023–24 के आँकड़ों के अनुसार आयोग को 76,891 शिकायतें प्राप्त हुईं और 73,958 मामलों का निपटान हुआ; यह मानवाधिकार संरक्षण की व्यापक संस्थागत माँग को दर्शाता है [6]।

तीसरा, मानवाधिकार संरक्षण केवल न्यायिक घोषणा से पूरा नहीं होता। यदि न्यायिक निर्णयों का अनुपालन कमजोर है, तो अधिकारों की व्यावहारिक रक्षा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस अध्ययन में न्यायिक निर्णयों के साथ-साथ शिकायतों, निपटान, लंबित मामलों और न्यायिक बोझ के सांख्यिकीय संकेतकों को भी शामिल किया गया है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. भारतीय मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता के संवैधानिक आधार का विश्लेषण करना।
2. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की मानवाधिकार संबंधी भूमिकाओं की तुलनात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
3. प्रमुख मानवाधिकार निर्णयों के आधार पर न्यायिक सक्रियता के विषयगत क्षेत्रों की पहचान करना।
4. NHRC और NJDG के उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित संस्थागत दबाव का सांख्यिकीय विश्लेषण करना।
5. न्यायिक सक्रियता की उपयोगिता, सीमाओं और सुधार-सम्भावनाओं पर शोधपरक निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

4. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें भारतीय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के चयनित निर्णय, National Human Rights Commission की वार्षिक रिपोर्टें, National Judicial Data Grid, Supreme Court Annual Report, NCRB से संबंधित उपलब्ध रिपोर्टें, विधि आयोग एवं मानवाधिकार साहित्य का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक है। न्यायिक निर्णयों का चयन उन मामलों के आधार पर किया गया है जिनमें मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत विकसित हुए। मात्रात्मक विश्लेषण में निम्न संकेतकों का उपयोग किया गया है—

निपटान दर = निपटाए गए मामले / प्राप्त या संस्थापित मामले × 100

लंबित अनुपात = लंबित मामले / कुल मामले × 100

रिट अनुपात = रिट याचिकाएँ / कुल लंबित उच्च न्यायालय मामले × 100

वृद्धि दर = वर्तमान वर्ष का मान – पूर्व वर्ष का मान / पूर्व वर्ष का मान × 100

5. मानवाधिकार संरक्षण का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का मानवाधिकार ढाँचा उदारवादी अधिकारों और सामाजिक न्याय दोनों का संयोजन है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 समानता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन और पेशे की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, बंधुआ श्रम और बाल श्रम के विरुद्ध संरक्षण देते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करते हैं [1]।

सर्वोच्च न्यायालय ने Maneka Gandhi v. Union of India में अनुच्छेद 21 की व्याख्या को "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" से आगे बढ़ाकर न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत प्रक्रिया से जोड़ा। इस निर्णय ने भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र में प्रक्रिया की निष्पक्षता को मूल अधिकारों का अनिवार्य अंग बना दिया [7]।

इसी प्रकार Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi में न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ मात्र पशुवत अस्तित्व नहीं है, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है [8]। इस व्याख्या ने बाद के अनेक निर्णयों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पर्यावरण और आजीविका को जीवन-अधिकार से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया।

6. मानवाधिकार न्यायशास्त्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकार संरक्षण में मुख्यतः 4 स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। पहला, उसने मौलिक अधिकारों की उदार और विस्तृत व्याख्या की। दूसरा, लोकहित याचिका के माध्यम से वंचित समूहों की न्याय-प्राप्ति को सरल बनाया। तीसरा, हिरासत, गिरफ्तारी, जेल, बंदी प्रत्यक्षीकरण और पुलिस जवाबदेही से जुड़े मामलों में दिशानिर्देश दिए। चौथा, सामाजिक अधिकारों को जीवन-अधिकार के दायरे में शामिल किया।

Hussainara Khatoon श्रृंखला में न्यायालय ने विचाराधीन बंदियों की समस्या को मानवाधिकार प्रश्न माना और शीघ्र न्याय को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना [3]। D. K. Basu में गिरफ्तारी और हिरासत में यातना की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए, जिनका उद्देश्य पुलिस शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करना था [4]।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

Vishaka v. State of Rajasthan में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश जारी किए गए, क्योंकि उस समय कोई विशिष्ट विधि उपलब्ध नहीं थी [9]। यह निर्णय मानवाधिकार न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उदाहरण है, जहाँ न्यायालय ने विधायी रिक्तता की स्थिति में संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सुरक्षा-ढाँचा निर्मित किया।

Justice K. S. Puttaswamy v. Union of India में निजता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया [10]। इस निर्णय ने डिजिटल युग में मानवाधिकार विमर्श को नई दिशा दी, क्योंकि अब व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता, सूचना-सुरक्षा और राज्यीय निगरानी के प्रश्न मानवाधिकार न्यायशास्त्र का हिस्सा बन चुके हैं।

7. मानवाधिकार संरक्षण में उच्च न्यायालयों की भूमिका

उच्च न्यायालयों की भूमिका भारतीय मानवाधिकार संरक्षण में विशेष महत्व रखती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, बल्कि "अन्य प्रयोजनों" के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए उनकी क्षेत्राधिकार-सीमा व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है [1]।

उच्च न्यायालय मानवाधिकारों के स्थानीय और राज्य-स्तरीय प्रश्नों पर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हैं। पुलिस हिरासत, जेल स्थितियाँ, स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता, अस्पतालों में लापरवाही, शिक्षा का अधिकार, वेतन और सेवा-न्याय, वृद्धजन संरक्षण, विकलांगजन अधिकार, बाल-सुरक्षा, घरेलू हिंसा और जाति-आधारित अत्याचार जैसे मामलों में उच्च न्यायालय नागरिकों के लिए अधिक निकट न्यायिक मंच हैं।

NJDG के अनुसार उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की कुल संख्या 19,08,051 है, जिनमें 18,04,226 सिविल और 1,03,825 आपराधिक रिट याचिकाएँ हैं [5]। यह आँकड़ा दिखाता है कि उच्च न्यायालय संवैधानिक शिकायतों के बड़े बोझ को वहन कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष में उच्च न्यायालयों में 8,87,850 मामले संस्थापित हुए हैं; यह भी दर्शाता है कि राज्य स्तर पर न्यायिक उपचार की माँग निरंतर बनी हुई है [5]।

8. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलनात्मक प्रवृत्तियाँ

तालिका 1: मानवाधिकार संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की तुलनात्मक भूमिका

तुलनात्मक आधार	सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 32, 136, 141, 142	अनुच्छेद 226, 227
प्रमुख प्रकृति	राष्ट्रीय सिद्धांत-निर्माण	राज्यीय और स्थानीय उपचार
पहुँच	अपेक्षाकृत सीमित, राष्ट्रीय महत्व के मामले	नागरिकों के लिए अपेक्षाकृत निकट
प्रमुख क्षेत्र	मौलिक अधिकार, PIL, राष्ट्रीय नीति, संवैधानिक व्याख्या	रिट, प्रशासनिक जवाबदेही, पुलिस/जेल/स्थानीय शासन
निर्णयों का प्रभाव	सर्वभारतीय	राज्य या क्षेत्र-विशेष
सक्रियता का	दिशानिर्देश, संवैधानिक सिद्धांत,	प्रत्यक्ष आदेश, स्थानीय जांच, क्षतिपूर्ति,

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

रूप	निगरानी	प्रशासनिक निर्देश
सीमाएँ	अत्यधिक अपीलीय बोझ, राष्ट्रीय docket pressure	लंबित रिट मामले, राज्य-स्तरीय अनुपालन की समस्या

इस तुलना से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकारों की संवैधानिक भाषा निर्मित करता है, जबकि उच्च न्यायालय उस भाषा को प्रशासनिक व्यवहार और नागरिक न्याय में लागू करते हैं। दोनों स्तरों की न्यायिक सक्रियता एक-दूसरे की पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं।

9. परिणाम एवं सांख्यिकीय विश्लेषण

NHRC में शिकायतों और निपटान की स्थिति

NHRC के 2023–24 के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार आयोग को 76,891 शिकायतें प्राप्त हुईं और 73,958 मामलों का निपटान किया गया [6]। इसी अवधि में आयोग ने 106 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और 30 बार संस्थागत/स्थलीय निरीक्षण किए [6]।

तालिका 2: NHRC में मानवाधिकार शिकायतों की स्थिति, 2023–24

संकेतक	संख्या
प्राप्त शिकायतें	76,891
निपटाए गए मामले	73,958
स्वतः संज्ञान मामले	106
संस्थागत/स्थलीय निरीक्षण	30
निपटान दर	96.19%

निपटान दर = 73,958 / 76,891 × 100 = 96.19%

NHRC की 96.19 प्रतिशत निपटान दर यह संकेत देती है कि आयोग शिकायतों के निपटान में सक्रिय है। फिर भी प्राप्त शिकायतों की बड़ी संख्या यह बताती है कि मानवाधिकार उल्लंघन या अधिकार-संबंधी शिकायतें भारतीय शासन व्यवस्था में व्यापक सामाजिक-प्रशासनिक चुनौती बनी हुई हैं।

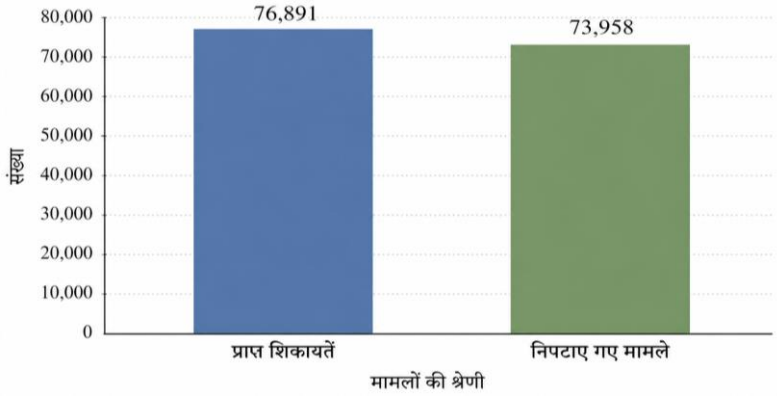

चित्र 1: NHRC में प्राप्त और निपटाए गए मानवाधिकार मामलों की तुलना, 2023–24

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

2023–24 और दिसंबर 2023–नवंबर 2024 की तुलनात्मक निपटान स्थिति

PIB द्वारा जारी सूचना के अनुसार 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 के दौरान NHRC ने 65,973 मामले दर्ज किए और 66,378 मामलों का निपटान किया, जिसमें पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल थे। इसी अवधि में आयोग ने 109 मामलों में स्वतः संज्ञान लिया और मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए ₹17,24,40,000 की आर्थिक राहत की अनुशंसा की [11]।

तालिका 3: NHRC शिकायत निपटान की तुलनात्मक स्थिति

अवधि	दर्ज/प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	स्वतः संज्ञान	निपटान दर
2023–24	76,891	73,958	106	96.19%
1 दिसंबर 2023–30 नवंबर 2024	65,973	66,378	109	100.61%

दिसंबर 2023–नवंबर 2024 निपटान दर = 66,378 / 65,973 × 100 = 100.61%

100 प्रतिशत से अधिक निपटान दर का अर्थ है कि उक्त अवधि में आयोग ने प्राप्त मामलों से अधिक मामलों का निपटान किया, क्योंकि निपटान में पूर्व वर्षों से लंबित मामलों को भी शामिल किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि मानवाधिकार संस्थाएँ backlog reduction की दिशा में कार्य कर रही हैं, परंतु शिकायतों की निरंतरता न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता को बनाए रखती है।

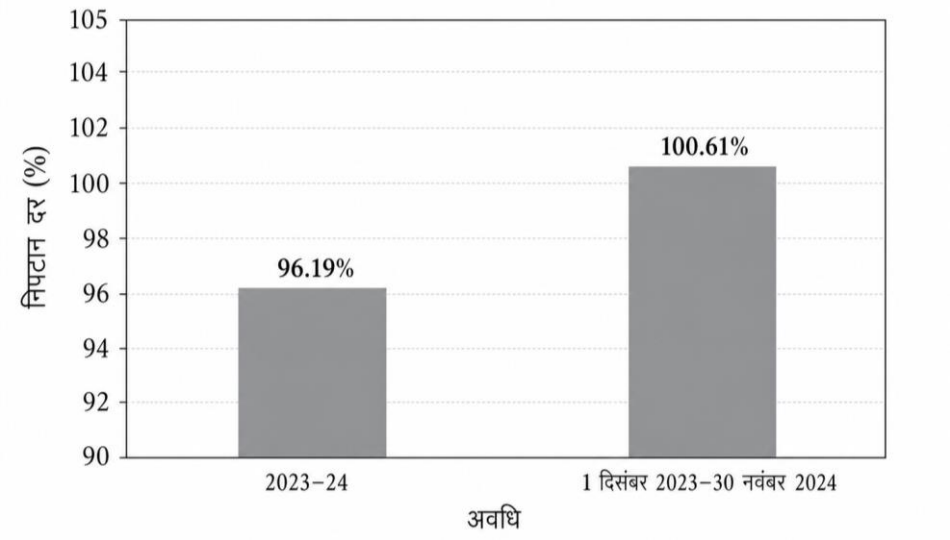

चित्र 2: NHRC की निपटान दर की तुलनात्मक स्थिति

उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं का संवैधानिक भार

उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की संख्या मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता का महत्त्वपूर्ण संकेतक है। NJDG के अनुसार उच्च न्यायालयों में कुल 19,08,051 रिट याचिकाएँ लंबित हैं [5]।

तालिका 4: उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं की स्थिति

रिट श्रेणी	लंबित संख्या	कुल रिट में प्रतिशत

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

सिविल रिट याचिका	18,04,226	94.56%
आपराधिक रिट याचिका	1,03,825	5.44%
कुल रिट याचिका	19,08,051	100.00%

सिविल रिट प्रतिशत = 18,04,226 / 19,08,051 × 100 = 94.56%
आपराधिक रिट प्रतिशत = 1,03,825 / 19,08,051 × 100 = 5.44%

सिविल रिट याचिकाओं का हिस्सा बहुत अधिक है। इसका अर्थ है कि मानवाधिकार संरक्षण में उच्च न्यायालयों की भूमिका केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण या आपराधिक अधिकारों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा-न्याय, पेंशन, भूमि, स्थानीय निकाय, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक वैधता से जुड़े अधिकार-प्रश्न भी मानवाधिकार विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं।

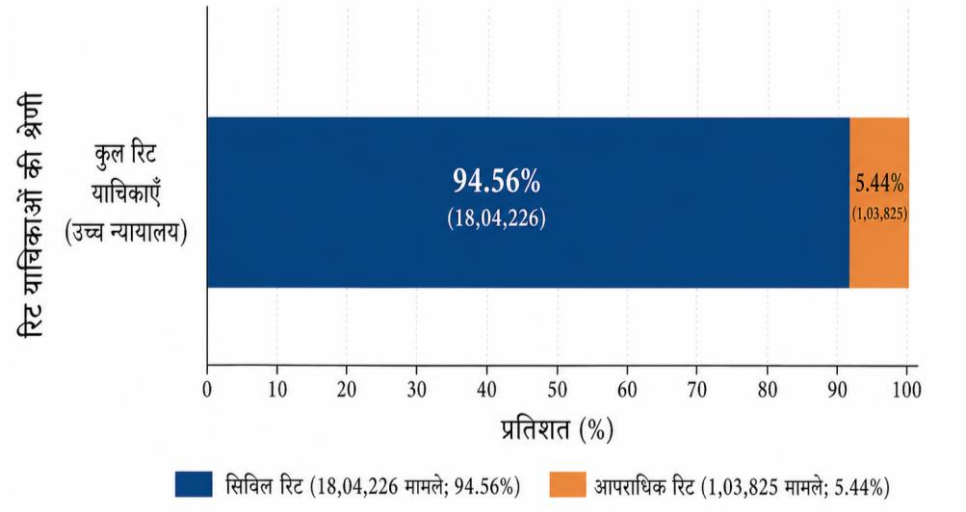

चित्र 3: उच्च न्यायालयों में सिविल और आपराधिक रिट याचिकाओं का अनुपात

सर्वोच्च न्यायालय की संस्थागत क्षमता और मानवाधिकार न्याय

Supreme Court Annual Report 2023–24 के अनुसार जनवरी से अगस्त 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 39,940 मामले संस्थापित हुए और 38,278 मामलों का निपटान हुआ; अगस्त 2024 के अंत में लंबित मामलों की संख्या 82,336 थी [12]।

तालिका 5: सर्वोच्च न्यायालय में जनवरी–अगस्त 2024 की स्थिति

संकेतक	संख्या
कुल संस्थापित मामले	39,940
कुल निपटाए गए मामले	38,278
अगस्त 2024 अंत तक लंबित मामले	82,336
निपटान दर	95.84%

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

निपटान दर = 38,278 / 39,940 × 100 = 95.84%

सर्वोच्च न्यायालय की निपटान दर उच्च है, परंतु लंबित मामलों की संख्या भी बड़ी है। मानवाधिकार मामलों में यह स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवैधानिक प्रश्नों में विलंब अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।

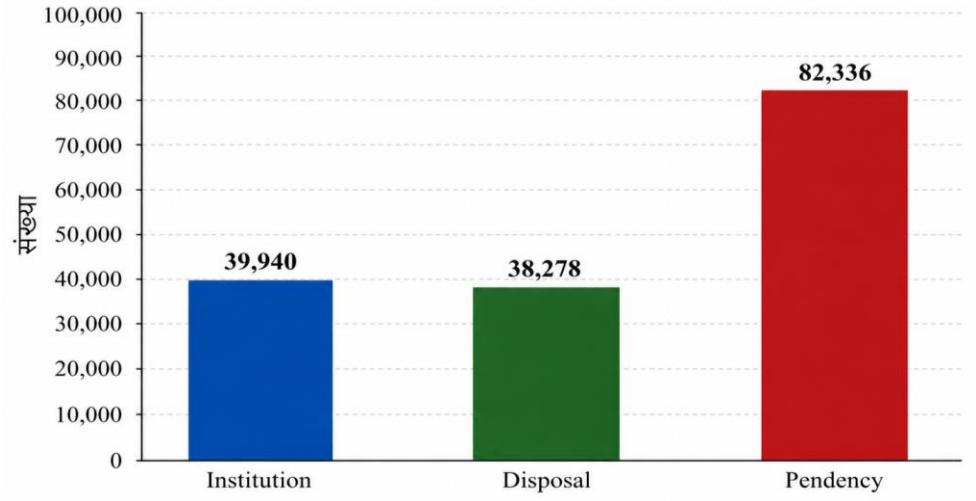

चित्र 4: सर्वोच्च न्यायालय में Institution, Disposal और Pendency की स्थिति, जनवरी–अगस्त 2024

सामाजिक रूप से संवेदनशील अपराध और मानवाधिकार संरक्षण

NCRB Crime in India 2023 के उपलब्ध विश्लेषणों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध 0.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 4.48 लाख तक पहुँचे, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध 0.4 प्रतिशत बढ़े, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई [13]।

तालिका 6: 2023 में संवेदनशील समूहों के विरुद्ध अपराधों की प्रवृत्ति

श्रेणी	2023 की प्रवृत्ति	मानवाधिकार अर्थ
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	0.7% वृद्धि	लैंगिक गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न
अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध	0.4% वृद्धि	समानता और सामाजिक न्याय का प्रश्न
अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध	28.8% वृद्धि	सामुदायिक सुरक्षा और संरचनात्मक भेदभाव का प्रश्न
बच्चों के विरुद्ध अपराध	9.2% वृद्धि	बाल-अधिकार और राज्य संरक्षण का प्रश्न

ये आँकड़े यह दिखाते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन केवल हिरासत या राज्य-हिंसा तक सीमित नहीं हैं। सामाजिक हिंसा, जाति-आधारित अत्याचार, लैंगिक अपराध, बाल-असुरक्षा और डिजिटल अपराध भी मानवाधिकार न्यायिक सक्रियता के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

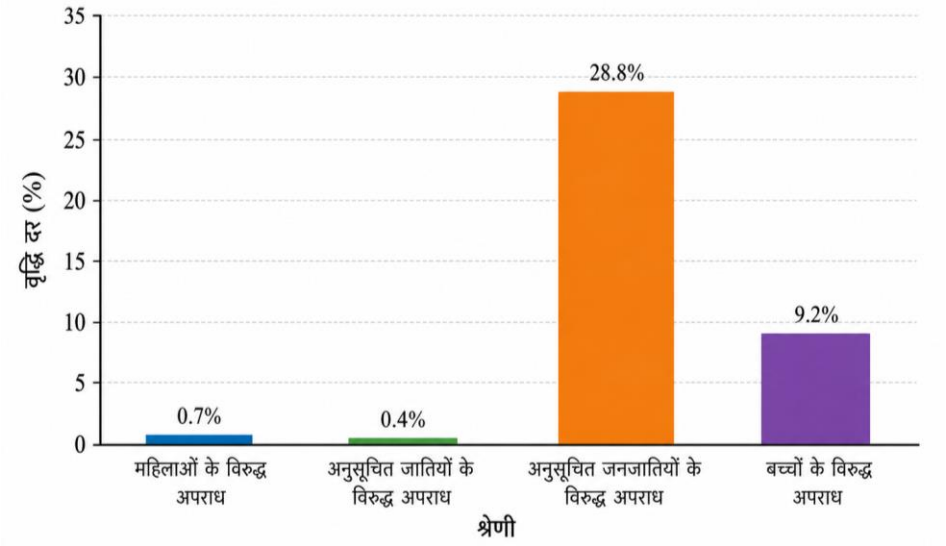

चित्र 5: संवेदनशील समूहों के विरुद्ध अपराधों की वृद्धि दर, 2023

10. निर्णय-आधारित विषयगत विश्लेषण

मानवाधिकार संरक्षण में भारतीय उच्च न्यायपालिका की सक्रियता को प्रमुख विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 7: चयनित मानवाधिकार निर्णयों में प्रमुख न्यायिक विषय

मानवाधिकार क्षेत्र	प्रमुख निर्णय	न्यायिक योगदान
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रक्रिया	Maneka Gandhi	उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया
विचाराधीन बंदी अधिकार	Hussainara Khatoon	शीघ्र सुनवाई को अनुच्छेद 21 से जोड़ा
हिरासत और गिरफ्तारी	D. K. Basu	पुलिस हिरासत में सुरक्षा दिशानिर्देश
लैंगिक गरिमा	Vishaka	कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न-विरोधी दिशानिर्देश
निजता	Puttaswamy	निजता को मौलिक अधिकार माना
आजीविका	Olga Tellis	आजीविका को जीवन-अधिकार से जोड़ा
LGBTQ+ अधिकार	Navtej Singh Johar	गरिमा, समानता और यौनिक स्वायत्तता की मान्यता
मृत्युदंड प्रक्रिया	Bachan Singh और बाद के निर्णय	दुर्लभतम में दुर्लभ सिद्धांत

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र व्यक्ति की स्वतंत्रता से आगे बढ़कर सामाजिक गरिमा, सामूहिक न्याय और पहचान-आधारित अधिकारों तक विस्तृत हुआ है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

11. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन से 4 मुख्य प्रवृत्तियाँ सामने आती हैं–

पहली प्रवृत्ति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकारों की संवैधानिक भाषा को विस्तृत करता है। Maneka Gandhi, Hussainara Khatoon, D. K. Basu, Vishaka और Puttaswamy जैसे निर्णयों ने यह सिद्ध किया कि संविधान केवल राज्य-शक्ति पर नकारात्मक नियंत्रण नहीं लगाता, बल्कि राज्य से सकारात्मक संरक्षण की अपेक्षा भी करता है।

दूसरी प्रवृत्ति यह है कि उच्च न्यायालय मानवाधिकारों की स्थानीय वास्तविकताओं से अधिक सीधे जुड़े हैं। रिट याचिकाओं की बड़ी संख्या यह दिखाती है कि नागरिक प्रशासनिक अन्याय, पुलिस निष्क्रियता, सेवा-भेदभाव, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बंदी अधिकार और स्थानीय शासन से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालयों की शरण लेते हैं [5]।

तीसरी प्रवृत्ति यह है कि मानवाधिकार संरक्षण अब केवल पारंपरिक नागरिक स्वतंत्रताओं तक सीमित नहीं है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कैदियों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, LGBTQ+ समुदाय और डिजिटल नागरिकों के अधिकार अब न्यायिक विमर्श के महत्त्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। NCRB 2023 से जुड़ी सामाजिक अपराध प्रवृत्तियाँ इस तथ्य को बल देती हैं कि मानवाधिकार संरक्षण को सामाजिक न्याय और आपराधिक न्याय दोनों से जोड़कर देखना होगा [13]।

चौथी प्रवृत्ति यह है कि न्यायिक सक्रियता की सफलता संस्थागत क्षमता पर निर्भर है। NHRC में 2023–24 के दौरान 76,891 शिकायतों का प्राप्त होना और उच्च न्यायालयों में 19,08,051 रिट याचिकाओं का लंबित होना यह दर्शाता है कि मानवाधिकार संरक्षण का क्षेत्र व्यापक और दबावपूर्ण है [5], [6]।

12. न्यायिक सक्रियता की सीमाएँ

मानवाधिकार संरक्षण में न्यायिक सक्रियता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। पहली सीमा न्यायिक विलंब है। यदि संवैधानिक मामलों का निपटान समय पर नहीं होता, तो अधिकारों की रक्षा औपचारिक रह जाती है। दूसरी सीमा अनुपालन की है। न्यायालय दिशा-निर्देश दे सकते हैं, परंतु उनका प्रभाव प्रशासनिक क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। तीसरी सीमा यह है कि न्यायिक सक्रियता कभी-कभी नीति-निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है, जिससे संस्थागत संतुलन पर प्रश्न उठते हैं।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि जहाँ राज्य-शक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या प्रशासन निष्क्रिय रहता है, वहाँ न्यायिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक संवैधानिकता का आवश्यक साधन बन जाता है।

13. निष्कर्ष

भारतीय उच्च न्यायपालिका ने मानवाधिकार संरक्षण को भारतीय संविधान की जीवंत आत्मा से जोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों की व्यापक संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की और अनुच्छेद 21 को गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, आजीविका और निष्पक्ष प्रक्रिया से जोड़ा। उच्च न्यायालयों ने अनुच्छेद 226 के माध्यम से इन अधिकारों को नागरिकों के निकट लाकर प्रशासनिक और राज्य-स्तरीय जवाबदेही को मजबूत किया।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्रवृत्तियाँ भिन्न होते हुए भी पूरक हैं। सर्वोच्च न्यायालय सिद्धांत-निर्माण और राष्ट्रीय दिशा देता है, जबकि उच्च न्यायालय स्थानीय कार्यान्वयन और व्यावहारिक न्याय प्रदान करते हैं। NHRC, NJDG और अपराध-संबंधी आँकड़े यह

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

संकेत देते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण की सामाजिक और संस्थागत माँग बहुत व्यापक है। इसलिए न्यायिक सक्रियता को न्यायिक क्षमता, त्वरित निपटान, प्रशासनिक अनुपालन और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ जोड़ना आवश्यक है।

14. सुझाव

1. उच्च न्यायालयों में मानवाधिकार-संबंधी रिट याचिकाओं के लिए विशेष पीठों का गठन किया जाना चाहिए।
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिरासत, जेल और पुलिस-हिंसा से जुड़े मामलों के लिए समयबद्ध निपटान व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
3. NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोगों की अनुशंसाओं के अनुपालन पर सार्वजनिक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
4. उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं का विषयगत वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ताकि मानवाधिकार प्रवृत्तियों का स्पष्ट डेटा उपलब्ध हो सके।
5. सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों—महिलाएँ, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगजन और वृद्धजन—से जुड़े मामलों में न्यायालयों को विशेष निगरानी तंत्र अपनाना चाहिए।
6. न्यायिक सक्रियता को प्रशासनिक सुधारों से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण केवल न्यायिक आदेशों से नहीं बल्कि पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण संस्थाओं की जवाबदेही से संभव है।
7. कानूनी सहायता प्रणाली को उच्च न्यायालय स्तर पर अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि गरीब और वंचित नागरिक संवैधानिक उपचार तक वास्तविक पहुँच प्राप्त कर सकें।

संदर्भ:

1. भारत का संविधान, 1950.
2. एम. पी. जैन, भारतीय संवैधानिक विधि, 8वाँ संस्करण. गुरुग्राम: लेक्सिसनेक्सिस, 2018.
3. हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, (1979) ए. आई. आर. 1369.
4. डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 एस. सी. सी. 416.
5. नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, "भारत के उच्च न्यायालयों का डैशबोर्ड," ई-कोर्ट्स सर्विसेज, 2026.
6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. नई दिल्ली: एन. एच. आर. सी., 2025.
7. मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 एस. सी. सी. 248.
8. फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, (1981) 1 एस. सी. सी. 608.
9. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241.
10. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, (2017) 10 एस. सी. सी. 1.
11. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, "स्थापना के बाद से एन. एच. आर. सी. द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के 23.14 लाख से अधिक मामले पंजीकृत," 9 दिसंबर, 2024.

© Copyright @ Authors

ISSN: 2394-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.25)
Journal Website www.nrjhrm.in

12. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका: वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2024.
13. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध 2023. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2025.
14. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, (1985) 3 एस. सी. सी. 545.
15. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, (2018) 10 एस. सी. सी. 1.
16. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684.
17. एस. पी. साथे, भारत में न्यायिक सक्रियता: सीमाओं का अतिक्रमण और सीमाओं का प्रवर्तन. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002.
18. उपेन्द्र बक्शी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और राजनीति. लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी, 1980.

© Copyright @ Authors